नालन्दा समाहरणालय

जिला राजस्व शाखा

अल्पकालीन निविदा सूचना

166

नालन्दा जिलान्तर्गत सभी 20 अचंल कार्यालयों में संधारित जमावदी पंजी–2 एवं सर्वे खतियान के पन्नों की स्कैनिंग एवं उसका राजस्व ग्रामवार बाईडिंग कराये जाने से संबंधित कार्यो के लिए दर निर्धारण हेतु योग्य फर्मो से द्विलिफाफा पद्वति के तहत अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा निम्नलिखित प्रकार के कार्य के लिए है :–

(1) जमावंदी पंजी–2 एवं सर्वे खतियान का स्कैनिंग (राजस्व ग्रामवार) ।

(2) स्कैनिंग के पश्चात ऑन लाईन प्रकाशन।

(3) स्कैनिंग के पश्चात सर्वे खतियान का A-3 साईज पेज में एवं जमावंदी पंजी–2 का FS साईज पेज में चार–चार प्रतियों में हार्ड कॉपी सी0डी0 सहित तैयार किया जाना। हार्ड कॉपी का राजस्व ग्रामवार अच्छी तरह बाईडिंग करना है जिसका कवर कपड़ा कौटेड कूटनुमा होना चाहिए।

योग्य फर्म जो अधोलिखित शर्तो को पूरा करते है। सीलबंद लिफाफा में एक तकनीकी तथा दूसरी वित्तीय निविदा जिला राजस्व शाखा, नालन्दा में दिनांक–28.09.2016 को अपराह्न **3:00** बजे तक दे सकते हैं। प्राप्त सभी निविदाएं दिनांक–28.09.16 को **4:00** बजे अपराह्न में जिला दर निर्धारित समिति के समक्ष खोली जाएगी। जिसमें संबंधित निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। तकनीकी निविदा के सफल होने पर वित्तीय निविदा खोली जाएगी। विस्तृत जानकारी प्रत्येक कार्य दिवस में जिला राजस्व शाखा, नालन्दा से अथवा दूरभाष सं0–**06112–235220** पर भी प्राप्त की जा सकती है तथा बेबसाईट Nalanda.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते:–

(1) निविदादाता फर्म को बिहार वाणिज्य कर (VAT) एवं सेवाकर का निबंधित होने का प्रमाण–पत्र तथा वाणिज्य कर एवं सेवाकर जमा करने की अद्यतन विवरणी संलग्न करनी होगी।

(2) फर्म को पैन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति के साथ अद्यतन आयकर विवरणी संलग्न करना होगा एवं तीन वित्तीय वर्ष का निम्नतम Turnover मो0–1,00,00,000=00 (एक करोड़) रूपये की शर्त सहित विगत तीन वर्षो का (वर्ष–2013–14, 2014–15 एवं 2015–16) Turnover का Audit Report/ बैलेंस शीट संलग्न करना होगा।

(3) निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में मो0–50,000=00 (पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पक्ष में भुगतेय हो या उक्त राशि का जिला नजारत शाखा, नालन्दा द्वारा निर्गत नाजिर रसीद संलग्न करना होगा।

(4) निविदादाता फर्म को इस कार्य हेतु सक्षम तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता संबंधी पूर्ण विवरणी नाम, योग्यता एवं अनुभव के साथ देना होगा।

(5) निविदादाता को तकनीकी क्षमता एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण यथा–कम्प्यूटर सेट, यू0पी0एस0, डिजिटल प्रिंटर, कम्प्यूटर ऑपरेटरों की संख्या, कर्मियों की संख्या, जेनरेटर, स्कैनिंग एवं प्रिंट आउट निकालने की क्षमता आदि का विवरण अंकित करना होगा। निविदा में अंकित विवरणी के अनुरूप संसाधन नहीं पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(6) निविदादाता को लेजर प्रिटिंग हेतु Original Tonner तथा FS/A3 Size Century Paper का ही उपयोग करना होगा एवं ग्रामवार अच्छी तरह बाईडिंग करना है जिसका कवर कपड़ा कोटेड कूटनुमा होना चाहिए से संबंधित घोषणा पत्र देना होगा।

(7) स्कैनिंग Book Scanner with a speed of 10ppm के माध्यम से करने संबंधी घोषणा पत्र देना होगा।

(8) निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(9) इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुभव / कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(1) स्कैनिंग एवं हार्ड कॉपी का प्रति पृष्ठ दर संबंधित निविदादाता द्वारा दिया जायेगा। (165)

(2) निविदादाता द्वारा पंजी–2 एवं खतियान के पन्नों के हार्ड कॉपी का राजस्व ग्रामवार बाईडिंग क दर 1–100, 101–200, 201–300, 301–400, 401–500 पन्नों के लिए अलग–अलग दिया जायेगा।

(3) जमावंदी पंजी–2 के प्रिटिंग हेतु FS साईज एवं सर्वे खतियान के प्रिटिंग हेतु A-3 साईज Century का उपयोग किया जायेगा।

(ग) निविदा की सामान्य शर्त्ते :–

(1) निविदा को बिना कारण बताये संशोधन करने, स्थगित या रद्द करने का अधिका अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(2) चयनित एजेंसी को जो भी सरकारी कागजात यथा जमावंदी पंजी–2, सर्वे खतियान आदि स्कैनिंग के लिए दी जायेगी उसके रख–रखाव की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, जब तक कि स्कैनिं के पश्चात मूल स्वरूप में पंजी–2 एवं खतियान अंचल कार्यालय एवं जिला अभिलेखागार को वापस नहीं कर दिया जाता है।

(3) सभी कार्यो को जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर समाप्त करना होगा।

(4) किसी भी परिस्थिति में Sub-Contracting स्वीकार नही होगा। इसकी जानकारी मिलने प एकरारनामा रद्द करते हुए निबंधित फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी, से संबंधित घोषण पत्र।

(5) निविदादाता को Book Scanner with a speed of 10ppm का उपयोग कर स्कैनिंग का का करना होगा एवं उक्त कार्यो में प्रयुक्त किये जाने वाले जेनरेटर, यू0पी0एस0, सर्वर, कम्प्यूटर ए क्लाईंट कम्प्यूटर की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

(6) Book Scanner with a speed of 10ppm एवं अन्य किसी जानकारी हेतु जिला सूचना विज्ञा पदाधिकारी, एन0आई0सी0, नालन्दा से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

(7) Book Scanner with a speed of 10ppm का कार्य जिला मुख्यालय के सभी बीस अंचलों संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नालन्दा एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नालन्दा क पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।

(8) आवश्यकतानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य का स्थल परिवर्तन किया जा सकता है, ज निविदादाता को बिना अतिरिक्त भुगतान के मान्य होगा।

(9) अस्थायी विद्युतीकरण हेतु जेनरेटर की व्यवस्था निविदादाता को स्वंय के खर्च पर रखना होगा इसके लिए किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(10) राजस्व विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में विभिन्न कार्यो के लिए समय सीमा पुनरीक्षि किया जा सकता है। तदनुसार निर्गत आदेश के अनुरूप कार्य समाप्त करना होगा।

(11) निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन 1000/(एक हजार) रूपये की कटौती निर्धारित विपत्र से की जायेगी। साथ ही अग्रधन की राशि जब्त करते हु फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

(12) कार्यहित एवं समय सीमा को देखते हुए न्यूनतम दर पर कार्य वितरण एक से अधिक निविदादाता के बीच किया जा सकता है।

(13) किसी भी प्रकार का अग्रिम निविदादाता को देय नहीं होगा। आवंटन विभाग से प्राप्त होने प हीं देय राशि का भुगतान किया जायेगा। इस कारण भुगतान में विलम्ब होने पर कोई भी सूद क राशि देय नहीं होगी।

(14) किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

(15) कार्यावंटन से पूर्व जिला राजस्व शाखा, नालन्दा द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर एकरारनामा करन होगा।

(16) फर्म का चयन उनकी तकनीकी क्षमता, न्यूनतम दर पर निगोशियेशन के आधार पर किय जायेगा।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, नालन्दा।	अंपर समाहर्त्ता, नालन्दा।	समाहर्त्ता,नालन्दा।